बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–7169/2017 उमेश चन्द एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.12.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन, रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर नियर, बाजार समिति, आरा–802301 स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया या स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन, रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर, नियर बाजार समिति, आरा–802301 द्वारा प्रदान की गयी 812 छात्रों के Bachelor of Allopathypatent Medical Specialties (B.A.M.S) की उपाधि की वैधता नहीं रहने के कारण उक्त संस्थान द्वारा प्रदत्त उपाधि को रद्द किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :–16/सी.1–11/2017–1010 (आ०चि०) **/पटना, दिनांक :**– 03.8.2018

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष निदेशालय बिहार, पटना के सभी पदाधिकारियों, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा/सचिव, मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन, रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर नियर, बाजार समिति, आरा–802301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03.8.18

सरकार के उप सचिव

D:\irshad alam\letter.docx